

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)

क्रमांक: एफ4 (5) आरडी/नरेगा/मा.द. /2009-10

जयपुर, दिनांक 24.09.2009

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर  
समस्त जिला.....

30 SEP 2009

विषय :- नरेगा कार्यस्थलो हेतु मस्टररोल का नये प्रारूप के संबंध में जारी दिशा निर्देश,

प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक फाईल क्रमांक : एफ4 (5) आरडी/नरेगा/मा.द. /2009-10 दिनांक 26.09.2009 विषय-नरेगा स्थल कार्य पुस्तिका के संबंध में जारी दिशा निर्देश में सैम्पल प्रपत्र 4 व 5

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नरेगा कार्य स्थलों पर "जितना काम-उतना दाम" व मेहनत कश श्रमिकों को "पूरा काम - पूरा दाम" सुनिश्चित करने के लिए मेट की व्यवस्था को सुदृढ़ करना व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक पत्र से "नरेगा कार्यस्थल पुस्तिका" जारी की गई है।

इस कार्य पुस्तिका में कार्यस्थल पर आवश्यक व उपयोगी सभी प्रपत्रों को संलग्न किया गया है। प्रपत्र-4 ( अकुशल श्रमिकों के लिए हरे रंग का मस्टररोल) व प्रपत्र 5 (अर्द्ध-कुशल व कुशल श्रमिकों के लिए सफेद रंग का मस्टररोल) सैम्पल मस्टररोल संलग्न है।

इस पत्र के साथ मस्टररोल पुनः परिशिष्ट 1 व 2 के रूप संलग्न हैं, मस्टररोल को छपवाने व उपयोग में लेने के दिशा निर्देशों निम्नानुसार है :-

1. मस्टररोल लीगल साईज अथवा फाईल में संधारित किये जाने योग्य आकार का छपाया जाना अपेक्षित ताकि कार्य स्थल पर मेट द्वारा लेमिनेटेड फाईल(प्रचलित साईज) में संधारित किया जा सकें।
2. मस्टररोल के सभी खानों (सैलों) का आकार आवश्यकतानुसार रखा जावे ताकि पूर्तियों में मेट को कठिनाई न हों।

उदाहरणार्थ :-

**भाग एक** में श्रमिकों के नाम मय पिता/पति का नाम, अन्तिम कॉलम में श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठा तथा **भाग दो** में "दैनिक कार्य माप प्रपत्र" में समूह के प्रमुख श्रमिक के दैनिक हस्ताक्षर के लिए के लिए पर्याप्त स्थान हो।


3. अकुशल श्रमिकों हेतु उपयोग के लिए जाने वाले **हरे रंग** के मस्टर रोल को कगज (उदाहरण: श्रीपुर ग्रीन वाटरमार्का जी.एस.एम.-56 अथवा मैपलिथो जी.एस.एम.-80) तथा अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों हेतु उपयोग के लिए जाने वाले **सफेद रंग** के मस्टर रोल का कागज (उदाहरण: जी. एस.एम.-70) की पर छपवाया जाना अपेक्षित है।
4. **हरे रंग का** मस्टर रोल आगे व पीछे छपा हुआ है, जिसमें आगे व पीछे दो समूहों के श्रमिकों के नाम व नीचे दैनिक कार्य माप प्रपत्र अंकित है। श्रमिकों के नाम के नीचे समूहों को आवंटित व किए गए कार्य को भाग-2 (दैनिक कार्य माप प्रपत्र में अन्तिम कॉलम को छोड़कर) में मेट द्वारा संधारित किया जावेगा। पानी पिलाने वाले व्यक्ति व आया का नाम भी इसी मस्टररोल पर अंकित किया जावेगा।
5. **सफेद रंग** के मस्टररोल पर अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) व कुशल श्रमिक (कारीगर या अन्य) का नाम अंकित किया जावेगा। चूंकि पक्के कार्यों का नाप कारीगरों के अनुसार ही आवंटित किया

व मापा जाता है अतः पक्के कार्यों का नाप इसी सफेद रंग के मस्टररोल में अंकित किया जावेगा।

6. पखवाड़े के अंत में सफेद रंग के मस्टररोल के पीछे छपे भाग-3 की पूर्ति मेट, भाग-4 व भाग-6 की पूर्ति क0 अभि0/तक0 सहायक व भाग-5 (प्रमाण पत्र व भुगतान पारित आदेश ) की पूर्ति कार्यकारी एजेन्सी द्वारा की जावेगी ।

कृपया पालना सुनिश्चित करावे ।

भवदीय




(राजेन्द्र भाणावत)  
आयुक्त, ईजीएस

संलग्न - उक्तानुसार संदर्भित तीनों परिशिष्ट (एक व दो)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



परियोजना निदेशक,  
ईजीएस









